the Indian Government a member of the Non-aligned countries". There is however no information regarding Prof. Singh's whereabouts or about his release. Government is energetically continuing with its efforts to secure his release.

दिल्ली पुलिस के कार्मिकों को समयोपरि भत्ता

1072. **श्री सुनील कुमार पट्टनायक :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि बी०आई०पी० क्षेत्रों में तैनात दिल्ली पुलिस के कार्मिकों को आठ घंटे से अधिक समय तक ड्यूटी देनी पड़ती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या पुलिस कार्मिकों को समयोपरि भत्ता दिया जा रहा है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार भविष्य में उन्हें समयोपरि भत्ता देने का विचार रखती है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) साधारणतः पुलिस कार्मियों को लगातार 8 घंटे की ड्यूटी के लिये तैनात किया जाता है। किन्तु काम की अत्यावश्यकता में कभी-कभी उन्हें लम्बे समय तक ड्यूटी देनी पड़ती है।

(ख) और (ग) दिल्ली पुलिस के कार्मिकों को अधिक घंटों / छुट्टियों में काम करने के ऐवज में प्रतिवर्ष एक माह का अतिरिक्त वेतन दिया जाता है। यदि उन्हें किसी विशेष दिन 9 घंटे से अधिक लगातार ड्यूटी देनी पड़ती है, तो उन्हें 10 रु० प्रतिदिन भोजन भत्ता भी दिया जाता है।

दिल्ली में पुलिस कार्मिकों के कार्य घंटे

1073. **श्री सुनिल कुमार पट्टनायक :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि दिल्ली के समस्त थानों में पुलिस कार्मिकों से 8 घंटे की बजाय 24 घंटे ड्यूटी ली जा रही है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि यदि वे 8 घंटे की ड्यूटी देने के बाद 16 घंटे की विश्राम अवधि के दौरान अपने निजी कार्य के लिये चले जाते हैं, तो उनकी गैर-हाजिरी लगा दी जाती है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और किस नियम के तहत पुलिस कार्मिकों की गैर हाजिरी लगा दी जाती है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) साधारणतः पुलिस कार्मिकों को लगातार आठ घंटे की ड्यूटी पर तैनात किया जाता है। किन्तु काम की अत्यावश्यकता में कभी कभी उन्हें लम्बे समय तक ड्यूटी करनी पड़ती है।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Burning of Mishra Commission report

1674. SHRI ASHOK NATH VERMA:

SHRI M. S. GURUPADASWAMY:

DR. SHRIMATI SAROJINI MAHISHI:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Mishra Commission Report on November, 1984 riots in Delhi was released to the Press;